माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विचाराधीन ओ0ए0 नं0– 673/2018 में पारित आदेश दिनांक– 20.09.2018, 19.12.2018 एवं 08.04.2019 के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक– 14.06.2019 द्वारा पुनर्गठित **River Rejuvenation Committee (RRC)** की प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 01.07.2019 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त वर्णित तिथियों में पारित आदेशों के अनुक्रम में पुनर्गठित River Rejuvenation Committee (RRC) की बैठक उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, लखनऊ के सभाकक्ष में दिनांक–01.07.2019 को अपरान्ह् 03:30 बजे प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आहूत हुई। बैठक में उपस्थित प्राधिकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि का विवरण संलग्न है।

2– बैठक में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0– 673/2018 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक– 20.09.2018, 19.12.2018 एवं 08.04.2019 के सम्बन्ध में बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों को अवगत कराया गया कि बोर्ड द्वारा प्राथमिकता तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम चरण की कुल– 08 प्रदूषित नदियों के स्ट्रेच का विवरण निम्नवत् है, जिनके पुनरूद्धार की कार्ययोजना तैयार की गई है :–

कमांक	नदी का नाम	नदी स्ट्रेच	प्राथमिकता का चरण
1	गोमती	सीतापुर से वाराणसी	तृतीय
2	गंगा	कन्नौज से वाराणसी	चतुर्थ
3	रामगंगा	मुरादाबाद से कन्नौज	
4	बेतवा	बागपुर (म0प्र0) से हमीरपुर	पचंम
5	घाघरा	बड़हलगंज से देवरिया	
6	राप्ती	डामिनगढ से राजघाट	
7	सई	उन्नाव से जौनपुर	
8	सरयू	अयोध्या से इलाफतगंज	

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में दिनांक– 24.04.2019 को टॉस्क टीम की बैठक में विचारोपरान्त कतिपय सूचनायें उक्त कार्ययोजना में समाहित करने की अपेक्षा की गयी है, जिसमें प्रमुख रूप से उद्योगों में जल खपत तथा उत्प्रवाह निस्तारण की स्थिति, गैप एनॉलिसिस, सभी ड्रेन्स की सूची एवं जल गुणता का विवरण, भूजल गुणता का विवरण इत्यादि को समाहित किया जाना था।

3– सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त सभी सूचनाएं/विवरण उपरोक्त आठ नदियों हेतु तैयार की गयी कार्ययोजना में समाहित कर दिया गया है।

सदस्य सचिव द्वारा नदियों में जलगुणता सुधार हेतु लघु (तात्कालिक) एवं दीर्घकालिक कार्ययोजना भी प्रस्तुत की गयी जिसमें मुख्य रूप से निम्न कार्यों को

स्थानीय निकाय, सिचाई विभाग एवं स्थानीय नागरिक/स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से अल्प समय में किया जा सकता है, इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित कार्य चिन्हित किये गये है :–

1. नदियों को ठोस अपशिष्ट से मुक्त करना।
2. नदियों के अविरल प्रवाह हेतु कार्यवाही।
3. नदी के प्रदूषण भार में कमी हेतु कार्यवाही।
4. औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण।

4– इसी प्रकार दीर्घकालिक कार्यों के बारे मे भी विस्तार से बताया गया :– डा0 अखिलेश मिश्र, विशेष सचिव, परिवहन (पूर्व जिलाधिकारी, पीलीभीत) द्वारा जिलाधिकारी, पीलीभीत अवधि के दौरान गोमती नदी के उद्गम स्थल से 16.0 कि0मी0 तक गोमती नदी पुनरूद्धार एवं प्राकृतिक जल स्त्रोतों को पुनर्जीवित करने हेतु उनके द्वारा जन–सहभागिता के माध्यम से किये गये कार्यों का प्रस्तुतीकरण किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि नदी को पुनर्जीवित किये जाने में जनसामान्य की भागीदारी होना अत्यन्त आवश्यक है।

डा0 विकास रंजन, केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड द्वारा सुक्षाव दिया गया कि कूडा फेकने तथा समुचित निस्तारण न किये जाने तथा उसकी शिकायत दर्ज कराये जाने हेतु मोबाइल ऐप बनवा कर कार्यवाही किये जाने हेतु सुक्षाव दिया गया।

डा0 एस0आर0 टैगौर, पर्यावरण विशेषज्ञ, एन0एम0सी0जी0 द्वारा कौशल विकास योजना के अंतर्गत जलकुम्भी से बैग्स एवं हैण्डीक्राफ्ट के सम्बन्ध में बताया गया।

श्री बृजेन्द्र पाल सिंह, लोकभारती द्वारा अवगत कराया गया कि बैटलैण्ड्स, सूखे जल स्त्रोतों की रिचार्जिंग तथा नैमिष, सीतापुर के आसपास तमाम छोटी–2 नदियों को पुनर्जीवित करने पर बल दिया गया। श्री वेकेण्टेश्वर दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डा0 अम्बेडकर सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी द्वारा गोमती नदी पर तैयार किये गये एक्शन प्लान का भी अध्ययन किया जाए। संत बलवीर सिंह, सीचेवाल द्वारा कालीबेई नदी, पंजाब के पुनरूद्धार का भी संज्ञान लिये जाने के सम्बन्ध में भी अवगत कराया गया।

5– प्रमुख सचिव महोदया द्वारा विशेष सचिव, नगर विकास को अवगत कराया गया कि प्रदेश में स्थित समस्त एस0टी0पी0 पर ओसीईईएमएस एवं पी0टी0जेड0 कैमरा 15 दिवस के अन्दर स्थापित एवं लिंक उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराया जाए। भरवारा, लखनऊ स्थित एस0टी0पी0 को मॉडल एस0टी0पी0 के रूप में विकसित किया जाए, जिसमें प्लांटेशन हेतु नर्सरी, शुद्विकृत सीवेज के उपयोग करने आदि की व्यवस्था की जाए। नालों में बारमेश से मैकेनाइज्ड सालिड वेस्ट रिमुवल के सम्बन्ध में तकनीक विकसित करने हेतु नगर विकास द्वारा कार्यवाही की जाए।

6– अंत में निम्नलिखित बिन्दुओं को समावेशित करने के निर्देश के साथ शेष कुल 08 नदियों के एक्शन प्लान्स् को अनुमोदित किया गया :–

1. इन्वायरमेंट मानीटरिंग पोर्टल का एड्रेस उपलब्ध कराना।
2. वेस्ट इरीगेशन/एग्रीकल्चर प्रेक्टिस।

3. रिचार्ज वेल एवं पाण्ड्स।
4. अपेन्डिक्स में रिसोर्स पर्सन, ग्राउण्ड वाटर एवं मियावाकी फॉरेस्टरी से सम्बन्धित यूट्यूब लिंक भी अंकित किये जायें।
5. जिला स्तरीय पर्यावरण समिति की संरचना को भी एक्शन प्लान में संलग्नक के रूप में शामिल किया जाये।

उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये जाते है कि समिति के अनुमोदनोपरान्त एक्शन प्लान्स् को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जाए तथा उन्हें उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण की वेबसाइट पर अपलोड किया जाय। उक्त की अनुपालन आख्या को समेकित रूप से उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

अन्त में धन्यवाद सहित बैठक सम्पन्न हुई।

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन अनुभाग–7
संख्या–285(2)/55–पर्या–7–2019–49(पर्या0)/2017
लखनऊः दिनांकः 03 जुलाई, 2019

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास/सिंचाई/कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3– निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ0प्र0।
4– प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, कानपुर।
5– निदेशक, तकनीकी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
6– क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय नार्थ जोन, लखनऊ।
7– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम,
8– निदेशक, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ।
9– डॉ0 ए0ए0 काजमी, प्रोफेसर, आई0आई0टी0, रूड़की।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।